न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट बिसौली

वाद संख्या 1356/2013

दिनाँकः 03.08.2017 पुकार पर अभियुक्त मय अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली अभियोजन साक्ष्य में नियत है, लेकिन एक भी साक्षी उपस्थित नही है। यह वाद वाद वर्ष 2005 से लम्बित है, जो प्राचीनतम वादों की श्रेणी में आता है, जिसका निस्तारण माननीय उच्च न्यायालय व माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के आदेशानुसार शीघ्र किया जाना है। अतः अभियोजन पक्ष को अन्तिम अवसर इस शर्त के साथ प्रदान किया जाता है कि वह नियत तिथि पर अपने समस्त को परीक्षित कराये। साक्षी ज्ञानेन्द्र जैन के विरूद्ध बिना जमानती वारण्ट व धारा 350 दप्रस.की आदेशिका जारी हों। अभियोजन अधिकारी नोट करें तथा आवश्यक उपक्रम करते हुए साक्षीगण को नियत तिथि पर उपस्थित किया जाना सुनिश्चित करें।

पत्रावली दिनाँक 20–08–2017 को वास्ते साक्ष्य अभियोजन पेश हो।

न्यायिक मजिस्ट्रेट बिसौली

दि०–05.05.2017 पुकार पर अभियुक्त मय अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली अभियोजन साक्ष्य में नियत है, लेकिन एक भी साक्षी उपस्थित नही है। यह वाद प्राचीनतम वादों की श्रेणी में आता है, जिसका निस्तारण माननीय उच्च न्यायालय व माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के आदेशानुसार शीघ्र किया जाना है। अभियुक्त के विरूद्ध बिना जमानती वारण्ट व धारा–82 दं०प्र०सं० की आदेशिका जारी हों। आदेशिका तामील हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरेली पत्र लिखा जाये।

पत्रावली दि० 06–05–2017 को वास्ते हाजिरी मुल्जिम पेश हो।

न्यायिक मजिस्ट्रेट बिसौली

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, बिसौली जनपद बदायूँ

दण्डवाद संख्या–2463/2013

सरकार बनाम दीनदयाल

दि०–05.05.2017 पुकार पर अभियुक्त मय अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली अभियोजन साक्ष्य में नियत है, लेकिन एक भी साक्षी उपस्थित नही है। यह वाद प्राचीनतम वादों की श्रेणी में आता है, जिसका निस्तारण माननीय उच्च न्यायालय व माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के आदेशानुसार शीघ्र किया जाना है। अभियुक्त के विरूद्ध बिना जमानती वारण्ट व धारा– 82 दं०प्र०सं० की आदेशिका जारी हों। आदेशिका तामील हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरेली पत्र लिखा जाये।

पत्रावली दि० 06–05–2017 को वास्ते हाजिरी मुल्जिम पेश हो।

न्यायिक मजिस्ट्रेट बिसौली

दिनाँक–15.07.2017 पुकार पर अभियुक्त अनुपस्थित। पत्रावली अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्त के विरूद्ध बिना जमानती वारण्ट जारी किया गया, जिस संबंधित थाना पुलिस द्वारा यह आख्या दी गयी है कि अभियुक्त घर पर दस्तयाव नही हो सका है। उक्त स्थिति में अभियुक्त के विरूद्ध बिना जमानती वारण्ट के साथ धारा–83 दं० प्र० सं० की आदेशित जारी हों।

मामले में उल्लेखनीय तथ्य यह है कि अभियुक्त लम्बे समय से अनुपस्थित है। मामला अत्यन्त प्राचीन है तथा प्राचीन वादों का निस्तारण माननीय उच्च न्यायालय व माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के निर्देशानुसार शीघ्र किया जाना है। अतः संबंधित थाना पुलिस अभियुक्त के विरूद्ध जारी आदेशिका का अविलम्ब निष्पादन करे।

पत्रावली दि० 24–05–2017 को वास्ते हाजिरी पेश हो।

न्यायिक मजिस्ट्रेट बिसौली

दि०–05.05.2017 पुकार पर अभियुक्त अनुपस्थित। पत्रावली अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्त तोती को जारी बिना जमानती वारण्ट पर यह आख्या आयी है कि अभियुक्त तोती की मृत्यु

१८–१९ महीना पूर्व हो चुकी है। अभियुक्त तोती के सम्बन्ध में वाद कार्यवाही उपशमित की जाती है।

अभियुक्त प्रवीन के विरूद्ध बिना जमानती वारण्ट जारी किया गया, जिस संबंधित थाना पुलिस द्वारा यह आख्या दी गयी है कि अभियुक्त बिसौली में कहीं निवास कर रहा है।

मामले में उल्लेखनीय तथ्य यह है कि अभियुक्त लम्बे समय से अनुपस्थित है। मामला अत्यन्त प्राचीन है तथा प्राचीन वादों का निस्तारण माननीय उच्च न्यायालय व माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के निर्देशानुसार शीघ्र किया जाना है। अतः संबंधित थाना पुलिस अभियुक्त के विरूद्ध जारी आदेशिका का अविलम्ब निष्पादन करे।

पत्रावली दि० 24–05–2017 को वास्ते हाजिरी पेश हो।

न्यायिक मजिस्ट्रेट बिसौली